सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्याः 1835/सोलह-1-2009-1-250/9

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) कुलपति,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3) निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन/प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 3 जुलाई, 200

विषयः-प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपा सुनिश्चित किए जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 200 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, मा0 उच्चतम न्यायालय, के प संख्या-370/04/XI-A, दिनांक 12 जून, 2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने व कष्ट करे।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थापित शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग जैस अमानवीय कुप्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के लिए समय-समय पर विस्तृ दिशा-निर्देश प्रत्येक विभाग के स्तर से निर्गत किए जाते रहें है। इस क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-887/2009 यूनिवर्सिटी आफ केरला एवं अन्य बना प्राचार्य काउसिंलग, कालेजेस आफ केरला एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 मई, 2009 में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं म रैगिंग रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों म प्रवेश के समय व्यवसायिक परामर्शदाताओं द्वारा नये छात्रों को रैगिंग में संलिप्त न होने के जानकारी दिए जाए हेतु मनोनीत किए जाने, सत्र के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में पुरान छात्रों के साथ नये छात्रों का परिचय/मेलमिलाप कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने, प्रत्येक संस्थान में एन्टी रैगिंग समिति एवं एन्टी रैगिंग स्काड गठित किए जाने, जिल स्तर पर एन्टी रैगिंग समिति गठित किए जाने, दोनो स्तरों पर गठित एन्टी रैगिंग समितियों

--2--

को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्यवाही कराए जाने, विश्वविद्यालय स्तर पर सभी कालेजों के एन्टी रैगिंग समितियों पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने, प्रदेश स्तर पर एन्टी रैगिंग नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने तथा रैगिंग रोकने के सभी प्रकार के सम्भावित उपाय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए चार माह में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2 इस संबंध में मुझे पुनः यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार तत्परता एवं कड़ाई से अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए रैगिंग रोकने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराते हुए अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालन आख्या ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव

संख्या 923/सोलह-1-2010

प्रेषक

अनिल कुमार बाजपेई,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

215
क्रा.

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
(2) कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
(3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 ।
(7) निदेशक/प्राचार्य, समस्त स्वायत्तशासी अनुदानित अभियंत्रण संस्थान ।
(8) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2010

विषय : उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2010 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, "उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2010" की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक : यथोक्त ।

Sri Nigam

भवदीय
15/4/2010

(अनिल कुमार वाजपेई)
अनुसचिव

Reg. 20/4/10

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलसचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त निजी अभियंत्रण संस्थानों में उक्त अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
2. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
15/4/2010

520

(अनिल कुमार वाजपेई)
अनुसचिव

Vipin-GO-2010-1